

| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00184</p> |
|-----------------------|---|
| <p>12-10-2021</p> | <p>पत्रावली आज प्रशासन गांको के संग श्रीमान्-2021 के तहत मीम नामगजौदा पर पेश हुई कोर्ट की पश्कार उपस्थित गरी है। तदस हेतु पत्रावली दि० 15-11-2021 को पेश हो।</p> |
| <p>15-11-21</p> | <p>वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बस एडु पत्रावली दि० 13-12-21 को पेश हो।</p> |
| <p>13-12-21</p> | <p>वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बस पत्रावली दिनांक 4-1-2022 को पेश हो।</p> |
| <p>4-1-22</p> | <p>वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बस पत्रावली दि० 29-1-22 को पेश हो।</p> |
| <p>28-1-2022</p> | <p>पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 11-2-2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर</p> |
| <p>15-2-2022</p> | <p>पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 15-2-2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर</p> |
| <p>15-2-2022</p> | <p>वकील उभयपक्ष उप० है। विभाजन स्वीम पर बहस सुनी गई। दावा डिक्री किया जाकर विभाजन स्वीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली में संदिग्ध शूमार होकर नम्बर से कम हो स्व काउंट तकमिल दियाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर वाराणसी सिटी (स०मा०)</p> |

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर
117 / 2019

तारीख रजू
11.10.2019

तारीख निर्णय
13.2.2024

1. कन्या पुत्री भजनी पत्नी गुल्याराम, प्रजापत निवासी शहर तह० नादीती
2. खिलाडी पुत्र भजनी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
3. गिराज पुत्र सूरजमल, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
4. मोहन पुत्र जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
5. हरकेश पुत्र जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
6. श्यामलाल पुत्र जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
7. छोटी देवी बेबा जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
8. राजन्ती देवी पुत्री जम्बू पत्नी श्योजीराम, प्रजापत निवासी बिलौना तह० लालसोट जिला दौसा
9. प्रसाद पुत्र भजनी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
10. बदरी पुत्र भजनी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
11. मुकेश पुत्र सूरजमल, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
12. रामचरण पुत्र गोपी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. रामफूल पुत्र हजारी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह० गंगापूर सिटी
2. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बामन बडौदा जरिए शाखा प्रबन्धक
3. एसबीबीजे औद्योगिक क्षेत्र सालौदा जरिए शाखा प्रबन्धक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापूर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापूर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

श्री दामोदर लाल गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी नं० 4 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि हॉल ख०न० 882 रकबा 0.25 है०, ख०न० 895 रकबा 0.93 है०, ख०न० 896 रकबा 0.03 है०, ख०न० 897 रकबा 0.25 है०, ख०न० 898 रकबा 1.35 है०, ख०न० 899 रकबा 1.25 है०, ख०न० 900 रकबा 0.19 है०, ख०न० 901 रकबा 0.67 है०, ख०न० 902 रकबा 0.49 है०, ख०न० 903 रकबा 0.14 है०, ख०न० 919 रकबा 0.16 है०, ख०न०



कन्या वगैरा बनाम रामफूल वगैरा, दावा
(2)

920 रकबा 0.31 है0, ख0न0 921 / 975 रकबा 0.19 है0, ख0न0 922 रकबा 0.23 है0, ख0न0 899 / 971 रकबा 0.44 है0, ख0न0 923 / 973 रकबा 0.20 है0, ख0न0 924 / 972 रकबा 0.33 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 7.41 है0 ग्राम बामन बडौदा मे स्थित है। जिसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। भूमि सहखातेदारी मे रहने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवाद होते रहते है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से तहसील मे चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई सहमति व्यक्त नही की। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार मीट्स एंड वाउन्डस से विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काशत मे बाधा पैदा नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि वादीगण ने जबाबदार बैंक के यहाँ से ऋण ले रखा है तथा ऋण का चुकाए वगैर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। पहले पक्षकारान बैंक के स्टेटमेन्ट के अनुसार ऋण एवं ब्याज अदा करे उसके पश्चात ही भूमि का बंटबारा किया जावे। बैंक की ऋण राशि चुकाये बिना किसी दीगर व्यक्ति को भूमि न तो विक्रय की जा सकती है और न ही रहन रखी जा सकती है। ऋण राशि जमा कराये बिना वादीगण का दावा चलने योग्य नही है। अतः वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खात संख्या 231, खाता संख्या 230 ग्राम बामन बडौदा प्रस्तुत की है।

जबाब दावे के समर्थन मे प्रतिवादी संख्या 4 ने बैंक ऋण स्टेटमेन्ट की प्रति प्रस्तुत की है।

दिनांक 3.2.2021 को वादी एवं प्रतिवादी नं0 4 के विद्वान वकीलों ने अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत वाद में बहस कर रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्डस से भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादी



उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी (सं०मा०)

कन्या वगैरा वनाम रामफूल वगैरा, दावा

(3)

संख्या 4 ने यह भी निवेदन किया कि बैंक ऋण का इन्द्राज ऋण अदायगी तक राजस्व रिकार्ड से नहीं हटाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स से वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी हैं। फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाया जाना उचित है।

दिनांक 3.2.2021 को वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवायी गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिनांक 8.7.2021 को विभाजन स्कीम इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. कन्या पुत्री भजनी हिस्सा 1/10, खिलाडी पुत्र भजनी हि. 1/10, गिराज पुत्र सूरजमल हि 1/8, छोटी पत्नी जम्बू हि 1/50, प्रसाद पुत्र भजनी हि 1/10, बदरी पुत्र भजनी हि 1/10, मुकेश पुत्र सूरजमल हि 1/8, मोहन पुत्र जम्बू हि 1/50, राजन्ती पुत्री जम्बू हि 1/50, रामचरण पुत्र गोपी हि 1/4, श्यामलाल पुत्र जम्बू हि 1/50, हरकेश पुत्र जम्बू हि 1/50 जातियान कुम्हार निवासी सा.देह की खातेदारी में भूमि ख0न0 882 रकबा 0.13 है0, ख0न0 897 रकबा 0.25 है0, ख0न0 898 रकबा 1.35 है0, ख0न0 899 रकबा 0.21 है0, ख0न0 900 रकबा 0.19 है0, ख0न0 901 रकबा 0.67 है0, ख0न0 903 रकबा 0.07 है0, ख0न0 919 रकबा 0.16 है0, ख0न0 921/975 रकबा 0.10 है0, ख0न0 922 रकबा 0.23 है0, ख0न0 924/972 रकबा 0.33 कुल किता 11 कुल रकबा 3.69 है0 ग्राम बामनबडौदा रहेगी। खातेदारान के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।
2. रामफूल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी सा.देह की खातेदारी में भूमि ख0न0 882/1 रकबा 0.12 है0, ख0न0 895 रकबा 0.93 है0, ख0न0 899/1 रकबा 1.04 है0, ख0न0 902 रकबा 0.49 है0, ख0न0 903/1 रकबा 0.07 है0, ख0न0 920 रकबा 0.31 है0, ख0न0 921/975/1 रकबा 0.09 है0, ख0न0 899/971 रकबा 0.44 है0, ख0न0 923/973 रकबा 0.20 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.69 है0 ग्राम बामनबडौदा रहेगी। खातेदार के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सं०मा०)

7

कन्या वगैरा बनाम रामफूल वगैरा, दावा
(4)

3. कन्या पुत्री भजनी हिस्सा 1/20, खिलाडी पुत्र भजनी हि. 1/20, गिराज पुत्र सूरजमल हि0 1/16, छोटी पत्नी जम्बू हि0 1/100, प्रसाद पुत्र भजनी हि0 1/20, बदरी पुत्र भजनी हि0 1/20, मुकेश पुत्र सूरजमल हि0 1/16, मोहन पुत्र जम्बू हि0 1/100, राजन्ती पुत्री जम्बू हि0 1/100, रामचरण पुत्र गोपी हि0 1/8, श्यामलाल पुत्र जम्बू हि0 1/100, हरकेश पुत्र जम्बू हि0 1/100, रामफूल पुत्र हजारी हि0 1/2 जाति कुम्हार निवासी सा.देह जातियान कुम्हार निवासी सा.देह की खातेदारी में भूमि ख0नं0 896 रकबा 0.03 है0, ग्राम बामनबडौदा रहेगी। खातेदारान के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकदमे इत्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्दा दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत
इजलास

उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

1. कन्या पुत्री भजनी पत्नी गुल्याराम, प्रजापत निवासी शहर तह0 नादौती
2. खिलाडी पुत्र भजनी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. गिराज पुत्र सूरजमल, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
4. मोहन पुत्र जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
5. हरकेश पुत्र जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. श्यामलाल पुत्र जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
7. छोटी देवी बेबा जम्बू, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
8. राजन्ती देवी पुत्री जम्बू पत्नी श्योजीराम, प्रजापत निवासी बिलौना तह0 लालसोट जिला दौसा
9. प्रसाद पुत्र भजनी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
10. बदरी पुत्र भजनी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
11. मुकेश पुत्र सूरजमल, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
12. रामचरण पुत्र गोपी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. रामफूल पुत्र हजारी, प्रजापत निवासी बामन बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बामन बडौदा जरिए शाखा प्रबन्धक
3. एसबीबीजे औद्योगिक क्षेत्र सालौदा जरिए शाखा प्रबन्धक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —117/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री दामोदर लाल गर्ग एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. कन्या पुत्री भजनी हिस्सा 1/10, खिलाडी पुत्र भजनी हि. 1/10, गिराज पुत्र सूरजमल हि0 1/8, छोटी पत्नी जम्बू हि0 1/50, प्रसाद पुत्र भजनी हि0 1/10, बदरी पुत्र भजनी हि0 1/10, मुकेश पुत्र सूरजमल हि0 1/8,



कन्या वगैरा बनाम रामफूल वगैरा, दावा

(2)

मोहन पुत्र जम्बू हि० 1/50, राजन्ती पुत्री जम्बू हि० 1/50, रामचरण पुत्र गोपी हि० 1/4, श्यामलाल पुत्र जम्बू हि० 1/50, हरकेश पुत्र जम्बू हि० 1/50 जातियान कुम्हार निवासी सा.देह की खातेदारी में भूमि ख०न० 882 रकबा 0.13 है०, ख०न० 897 रकबा 0.25 है०, ख०न० 898 रकबा 1.35 है०, ख०न० 899 रकबा 0.21 है०, ख०न० 900 रकबा 0.19 है०, ख०न० 901 रकबा 0.67 है०, ख०न० 903 रकबा 0.07 है०, ख०न० 919 रकबा 0.16 है०, ख०न० 921/975 रकबा 0.10 है०, ख०न० 922 रकबा 0.23 है०, ख०न० 924/972 रकबा 0.33 कुल किता 11 कुल रकबा 3.69 है० ग्राम बामनबडौदा रहेगी। खातेदारान के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।

2. रामफूल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी सा.देह की खातेदारी में भूमि ख०न० 882/1 रकबा 0.12 है०, ख०न० 895 रकबा 0.93 है०, ख०न० 899/1 रकबा 1.04 है०, ख०न० 902 रकबा 0.49 है०, ख०न० 903/1 रकबा 0.07 है०, ख०न० 920 रकबा 0.31 है०, ख०न० 921/975/1 रकबा 0.09 है०, ख०न० 899/971 रकबा 0.44 है०, ख०न० 923/973 रकबा 0.20 है० कुल किता 9 कुल रकबा 3.69 है० ग्राम बामनबडौदा रहेगी। खातेदार के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा। 3. कन्या पुत्री भजनी हिस्सा 1/20, खिलाडी पुत्र भजनी हि. 1/20, गिराज पुत्र सूरजमल हि० 1/16, छोटी पत्नी जम्बू हि० 1/100, प्रसाद पुत्र भजनी हि० 1/20, बदरी पुत्र भजनी हि० 1/20, मुकेश पुत्र सूरजमल हि० 1/16, मोहन पुत्र जम्बू हि० 1/100, राजन्ती पुत्री जम्बू हि० 1/100, रामचरण पुत्र गोपी हि० 1/8, श्यामलाल पुत्र जम्बू हि० 1/100, हरकेश पुत्र जम्बू हि० 1/100, रामफूल पुत्र हजारी जाति कुम्हार निवासी सा.देह जातियान कुम्हार निवासी सा.देह की खातेदारी में भूमि ख०न० 896 रकबा 0.03 है०, ग्राम बामनबडौदा रहेगी। खातेदारान के नाम भूमि का रहन पूर्ववत दर्ज रहेगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.2.2022 को जारी किया गया ।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी (स०मा०)